<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 901 / 14

संस्थापन दिनांक : 13.10.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-पप्पू उर्फ गोटा पुत्र लालसिंह जाट उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम ऐंचाया थाना गोहद जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त धारा 324 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.09.14 को दिन के पौने दो बजे बाग के पास ऐंचाया पर फरयादी दीपू जाट अ0सा01 की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.14 को फिरयादी दीपू जाट अ0सा01 मारवाई बाग पर भैंसे चरा रहा था तभी आरोपी पप्पू उर्फ गोटा लाठी लेकर आया और उससे कहा कि तुम कल मुझे मोटरसाइकिल पर क्यों बिठाकर गोहद नहीं ले गये थे फिर आरोपी गोटा ने उसके सिर में डण्डा फर्शा मारा तथा गाली देने लगा जब वह चिल्लाया तो गजेन्द्र व संजू आ गये जिन्होंने बचाया। तत्पश्चात फिरयादी दीपू जाट अ0सा01 ने थाना गोहद पर अदम चैक प्र0पी–1 दर्ज कराई जिस पर मेडीकल उपरांत थाना गोहद में अप0क0 311/14 की एफ.आई.आर. पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- 3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या दिनांक 20.09.14 को दिन के पौने दो बजे बाग के पास ऐंचाया पर फरयादी दीपू जाट अ0सा01 की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

- दीपू जाट अ0सा01 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व आरोपी पप्पू ने 5. उससे मोटरसाइकिल पर लिफ्ट मांगी थी उसने मना किया इस बात पर मुंहवाद हो गया था। जब वह अपनी मोटरसाइकिल ले जा रहा था तब वह गिर गया। उसने घटना की रिपोर्ट अदम चैक प्र0पी–1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र0पी–2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 20.09.14 को आरोपी ने उसके सिर में फर्शा व डण्डा मारा था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी–3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- साक्षी अजेन्द्र अ०सा०२ ने कथन किया है कि दीपू अ०सा०१ उसका भाई है जिससे लिफ्ट मांगने पर आरोपी से मुंहवाद हो गया था और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 20.09.14 को आरोपी ने दीपू अ०सा०१ के सिर में फर्शा, डण्डा मारा था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- अतः आहत दीपू अ0सा01 व साक्षी अजेन्द्र अ0सा02 ने आरोपी द्वारा फर्शे से दीपू अ0सा01 को चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है। उक्त दोनों साक्षीगण महत्वपूर्ण साक्षी है। दीपू अ०सा०१ स्वयं फरियादी व आहत भी है। अतः स्वयं प्रत्यक्ष साक्षीगण द्वारा इंकार किए जाने से अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 20.09.14 को दिन के पौने दो बजे बाग के पास ऐंचाया पर फरयादी दीपू जाट अ०सा०1 की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।
 - ,जए जाते हैं। सही/— (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र० परिणामतः आरोपी को धारा 324 भा.द.स.के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 9.

दिनांक :--

8.